सख्या:-07/2022/404आ0/23-5-21-12(भवन)/2020टीसी

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 09 फरवरी, 2022**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के 4059-01-051-06-0603-24 "प्रदेश के विभिन्न जनपदों(नवसृजित जनपदों सहित) में कार्यालय भवनों का निर्माण (चालू कार्य)" के अन्तर्गत जनपद झांसी व गोण्डा के 02 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ बजट 'ख' वर्ग के पत्र सं0-720बीजीबीजी/109बीजीबी/कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार का कार्य/2021-22, दिनांक 01.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिकानुसार उल्लिखित कार्यों हेतु उसके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि **रू0 104.58 लाख(रू0 एक करोड़ चार लाख अट्ठावन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	36/2019/52आ0/23-5-19-50 (41)ईजी/2015, दि0 17.07.2019	झांसी में वृत्तीय कार्यालय के नये भवन का निर्माण कार्य।	129.42	18.00	111.42	46.63
2	101/2020/405आ0/23-5-20-12 (भवन)/2020टीसी,दि0 29.12.20	गोण्डा में मुख्य अभियन्ता देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लो0नि0 वि0, गोण्डा के कार्यालय भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य।	72.95	15.00	57.95	57.95
योग :-			**202.37**	**33.00**	**169.37**	**104.58**

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा मद के "लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-06-लोक निर्माण-0603-विभिन्न जनपदों(नवसृजित जनपदों सहित) में कार्यालय भवनों का निर्माण(चालू कार्य)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-07/2022/404आ0(1)/23-5-2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी झांसी व गोण्डा।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र व देवीपाटन क्षेत्र(गोण्डा), लो0नि0वि0।
10- अधीक्षण अभियन्ता, झांसी वृत्त व गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0।
11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन विंग), लो0नि0वि0, झांसी।
12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गोण्डा।
13- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।